



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2016—कार्तिक 20, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-16-28-2014-बी-ग्यारह.—मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 15 तथा 17 के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा) नियम 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

संशोधन

उक्त नियमों में:—

नियम 7 में उप-नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जाये, यथा:—

- “(1). राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चय से व्यथित होने पर या असंतुष्ट रहने पर आवेदक निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति को विचारण के लिये अपील प्रस्तुत कर सकेगा. आवेदक के, निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति के विनिश्चय से व्यथित होने की दशा में वो निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति से उसके विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए अनुरोध कर सकेगा.

- (2). निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि समीक्षा/पुनर्विचार हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है, ऐसे प्रस्तावों पर उसके द्वारा लिये गये निर्णयों पर एक अथवा एक से अधिक बार पुनः विचार कर सकेगी. वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख को बढ़ाने के संबंध में की गयी अपील के लिये भी यह प्रावधान उपलब्ध होगा.”

No. F-16-28-2014-B-XI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 read with Section 15 and 17 of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 (No. 21 of 2008), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Investment Facilitation (Combined Application Form and Time Limit for Processing of Application) Rules, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In rule 7, for sub-rule (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

- “(1). On being aggrieved or dissatisfied by the decision of the State Level Committee, the applicant may file an appeal to the Cabinet Committee on Investment Promotion for consideration, In case the applicant is aggrieved by the decision of the Cabinet committee on Investment Promotion, he may request Cabinet Committee on Investment Promotion to reveiw its decision.
- (2) The Cabinet Committee on Investment Promotion may review its decision more than once, provided it is satisfied that reasonable ground for such review exists. Appeal proposal respect to the extension of commencement of commercial production date, shall also be considered with this provision.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 17(ई) 40-88 इक्कीस-ब(एक) 2913.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में:—

1. (क) नियम 7 में, खण्ड (ख) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
- “परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम तीन वर्ष तक शिथिल किया जाएगा.”

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण जोड़े जाएं, अर्थात्:—

“टिप्पण: नियम 7 के अधीन लाभ चाहने के लिए दिव्यांग व्यक्ति निम्नानुसार होंगे:—

(एक) इस उपबंध का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय/राज्य सरकार के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र वैध होगा.

(दो) पद के लिए आवेदन करने की तारीख को, आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होगी.”

F. No. 17(E) 40-88-XXI-B-(1), 2013.—In exercise of the powers conferred by article 234 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh in consultation with the High Court hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules:—

(a) in rule 7, in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“ Provided that the upper age limit shall be relaxable up to a maximum of three years, If a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and specially abled persons.”.

(b) After clause (d), the following Notes shall be added, namely:—

“ Note : The eligibility criteria for seeking benefits under Rule 7, for specially abled persons shall be as under:—

- (i) For the purpose of getting benefit of this provision, the certificate issued by the Medical Board of Central/State Government shall be valid;
- (ii) On the date of submitting the application for the post, the applicant's specially ableness shall not be less than 40 %.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.